545

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी
I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3933

कोमल सिह पुत्र श्री बुददू सिंह निवासी ग्राम बांसखेडी गूगल तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..........आवेदक

बनाम

बाबूलाल पुत्र श्री भाव सिंह किरार निवासी ग्राम बांसखेडी गूगल तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..............अनावेदक

16-10-017

16-10-17

पेशी दिनांक 8-11-17

Noted
8-11-2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार मण्डल 03 सिरोंज जिला विदिश म.प्र. के द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/ए–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनवोदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल 3 सिंरोज जिला विदिशा के समक्ष आवेदन धारा 250 एवं सहपठित धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया । प्रकरण पंजीबद्व किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/2008–09 था। ग्राम मुजफ्फरगढ तहसील सिरोंज सवे क्रमांक 15 के 0.379 हें. एवं सर्वे क्रमांक 17 के 0.474 हे. भाग पर संलग्न मानचित्र अनुसार आवेदक से आधिपत्य दिलया जावे तथा आवेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 15 के भाग मे अवैधानिक रूप से डाले गये टपरे को हटवाया जावे।

XXIX(a)-BR(H)-11

545

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3933

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	